

**केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण:
वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20**

किसी कर कानून और उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के प्रयोजन हेतु राजस्व जुटाना है। जुटायी गई राजस्व की धनराशि मूलतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो घटकों के निर्धारक उपायों की वह श्रृंखला है जिसमें विशेष कर दरें, छूट, कटौती, छूट, विलंबन और ऋण शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' अथवा 'कर वरीयता' के नाम से जाना जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को भी परिलक्षित करते हैं।

कर नीति में विशेषकर प्रोत्साहनों की विशेषता है जो कर वरीयताओं को जन्म देते हैं। ऐसी प्राथमिकताओं का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है और इन्हें वरीयता प्राप्त करदाताओं के लिए एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है जिन्हें 'कर व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति केवल प्रभावी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि पारदर्शी भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें उन प्रोत्साहनों जिनका राजस्व पर प्रभाव होता है, का उपयोग करके समाधान करने के लिए विशेष नीतिगत उद्देश्य अपेक्षित होते हैं, स्पष्ट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित कार्यक्रम शीर्षों के अधीन ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्यय (अथवा राजस्व प्रभाव) के समावेशन हेतु पारदर्शी बजट बनाने की आवश्यकता है। राजस्व के किसी रूप में कर प्रोत्साहनों का स्वतः प्रभाव कर विधान में शामिल वे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप होता है।

वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों का ऐसा राजस्व प्रभाव बजट 2006-07 के दौरान प्रथम बार विगत राजस्व के एक विवरण की रीति के जरिए प्राप्ति बजट के अनुबंध 12 के रूप में संसद के समक्ष पेश किया गया था। इस पर सभी क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी और राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस का प्रादुर्भाव हुआ। इससे कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वास प्राप्त हुआ। इस विवरण का द्वितीय संस्करण प्राप्ति बजट के अनुबंध 12 के द्वारा बजट 2007-08 के दौरान "पूर्ववर्ती राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट दस्तावेज के माध्यम से भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात, यह 2008-09 से 2014-15 के बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। बजट 2015-16 में, इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त नाम दिया गया है, चूंकि वास्तव में इसमें राजस्व प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। तथापि, यह उस वर्ष में प्राप्ति बजट का भाग नहीं था। बजट 2015-16 में, इसे अनुबंध 15 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में, यह अनुबंध 13 था। बजट 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में, यह अनुबंध 7 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग था।

जैसा कि पूर्व में, यह विवरण कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव की सूची की मांग करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक भाग हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अधिकांश "कर वरीयताओं" के संबंध में अनुमानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान, हाल ही के वर्ष जिसके लिए डाटा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व प्रभाव प्रस्तावित करने के लिए भी एक प्रयास किया गया है।

निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर कर व्यय का अनुमान लगाया गया है:

- (क) अनुमान और प्रस्ताव छूटों, कटौतियों, भारत कटौतियों तथा समान उपायों को हटाने के मामले में भावी राजस्व लाभ को निर्दिष्ट करने के लिए आशयित हैं। अनुमान एक अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। ये मानते हुए तैयार किए जाते हैं कि अंतर निहित कर आधार ऐसे उपायों को हटाने के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक कारकों का व्यवहार समग्र आर्थिक गतिविधि अथवा अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर प्राथमिकता के उन्मूलन के साथ परिवर्तित हो सकती हैं, राजस्व प्रभाव उस सीमा तक भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन का प्रभाव पृथक रूप से यह मानते हुए निर्धारित किया जाता है कि सभी अन्य कर प्रावधान अपरिवर्तित हैं। तथापि, अनेक कर रियायतें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील रहती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का परस्पर प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और प्रस्तावों को जोड़कर परिगणित कर व्यय से भिन्न हो सकते हैं।

तथापि, राजस्व प्रभाव कर व्यय के अर्थों में मात्रात्मक रूप दिया गया है, इसका संकेत यह नहीं होता है कि राजस्व की यह मात्रा सरकार द्वारा माफ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इन्हें कतिपय क्षेत्रों के संवर्धन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। समान मामलों में, आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप जो ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित किए गए हैं, वे वास्तव में, निष्पादित नहीं किए जा सके हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में मात्रा में अपेक्षाकृत निम्न हो सकते हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय अनुमान के लिए अपनाई गई मान्यताएं और क्रिया विधि इस विवरण में संगत स्थानों पर निर्दिष्ट हैं।

प्रत्यक्ष कर

अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम में निर्यातों को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; अवसंरचना सुविधायों का सृजन; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र; व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहन और दान के लिए चंदा देने के लिए कर प्रोत्साहनों के संबंध में व्यवस्था है। अभिवृद्ध मूल्यहास पूंजीगत निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी प्रदान किया गया है। इनमें से अधिकांश कर लाभों का कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कारपोरेट क्षेत्र; गैर-कारपोरेट क्षेत्र (फर्मों, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के निकाय इत्यादि); और व्यक्तियों/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने के प्रयास किए हैं। धर्मार्थ अथवा सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगे निकायों का ब्यौरा भी “धर्मार्थ निकाय” शीर्ष के अंतर्गत पृथक रूप से प्रदान किया गया है। वे शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव अनुमानित किया गया है, कंपनियों और फर्मों इत्यादि के लिए व्यापक रूप से समान है। तथापि, व्यक्तियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्ष भी शामिल किए गए हैं चूंकि ये केवल उनके लिए विशेष हैं। कारपोरेट क्षेत्र के लिए विवरण भी विभिन्न लाभ स्लेब में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों का एक क्षेत्रीय विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एक असाधारण वर्ष था जिसके दौरान भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण लड़खड़ा गई थीं। जारी संकट के आलोक में करदाताओं की अनुपालन भार को सरल करने के लिए, कराधान और अन्य विधियां (कतिपय प्रावधानों की शिथिलता और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से, निर्धारण वर्ष (एवाई) 2020-21 के लिए आयकर विवरणियों की फाइलिंग संबंधी नियत तिथियां 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गई थीं। दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 88/2020 के जरिए, आयकर विवरणियों की फाइलिंग की देय तिथियों को उन गैर-कारपोरेट करदाताओं और गैर-करदाताओं के मामले में जिनके लिए अपनी बहियों को लेखापरीक्षित कराना अपेक्षित नहीं है, 31 दिसम्बर, 2020 तक और बढ़ा दिया गया था तथा कारपोरेट करदाताओं और करदाताओं के मामले में 31 दिसम्बर, 2020 तक जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 44कख के अधीन अपनी लेखाबहियों को लेखापरीक्षित कराना अपेक्षित नहीं है, बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या 2020 की 93 के जरिए, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को पुनः क्रमशः 10 जनवरी, 2021 और 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया था। चूंकि बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए विवरणी को प्रस्तुत करने संबंधी निर्धारित तिथि जिनके मामले में, कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव अधिकतम है 1 फरवरी, 2021 से आगे बढ़ा दिया गया है, वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस विवरण में सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार, 30.11.2020 तक निर्धारण वर्ष 2019-20 (आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और (5) के अंतर्गत फाइल की गई विवरणी सहित) के लिए फाइल की गई सभी विवरणियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान के रूप में तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर वृद्धि दर का उपयोग करके प्रस्तावित किया गया है।

क. कारपोरेट क्षेत्र

बड़े उद्योग घराने मुख्यतः कंपनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 (अर्थात् निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए 30 नवम्बर, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 8,85,289 कारपोरेट विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की अपनी विवरणी को फाइल करना अपेक्षित है। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी आय के लिए 5,00,303.35 करोड़ रुपए (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) की कारपोरेट कर देयता सूचित की है इन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देय लाभांश वितरण कर¹ के रूप में 45,947.99 करोड़ रुपए भी सूचित किए। इन्होंने शेयरों की वापस खरीद पर कर के रूप में 1,015.23 करोड़ रुपए भी सूचित किए।

कर व्यय को कर व्यय के अनुमान के प्रयोजनार्थ, इन 8,85,289 कंपनियों से संबंधित डाटा विश्लेषण के लिए डाटाबेस से लिया गया था और इस विवरण की सारणी 1 से 5 और परिशिष्ट में विस्तार से दिया गया है। **सारणी 1** विवरण सभी लाभों में इन कंपनियों के विवरण हैं। डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

- 13,70,423.58 करोड़ रुपए की (कर योग्य आय) करों और कुल आय² से पूर्व लाभों के रूप में 4,30,385 कंपनियों (48.62 प्रतिशत) ने 17,98,695.39 करोड़ रुपए सूचित किए।
- हानियों के रूप में 4,17,986 कंपनियों (47.21 प्रतिशत) ने 10,00,023.70 करोड़ रुपए सूचित किए।
- 36,918 कंपनियों ने (4.17 प्रतिशत) शून्य लाभ सूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचित 29.49 प्रतिशत की दर के विरुद्ध) के लिए कंपनियों के संपूर्ण बेस की **प्रभावी कर दर³ सूचित किया गया लाभ 27.81 प्रतिशत⁴** था। जबकि सांविधिक कर दर एक करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20

¹ वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से, लाभांश वितरण कर बंद कर दिया गया है और 01 अप्रैल, 2020 से, लाभांश शेयरधारकों पर कर लगाया जा रहा है।

² आयकर विवरणियों में “कुल आय” शब्द कर योग्य आय जैसा कि सामान्य संदर्भ में इंगित होगा।

³ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को शामिल करते हुए) लाभों का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 30.37 प्रतिशत थी।

प्रतिशत थी, दस करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत जिसके परिणामस्वरूप औसत सांविधिक दर 34.58 प्रतिशत⁵ है। 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की करों (इसके पश्चात पीबीटी) से पूर्व लाभों वाली कंपनियां, जिनकी कुल पीबीटी का कुल 59.30 प्रतिशत था और कुल कारपोरेट आयकर देयता कुल 55.25 प्रतिशत थी। लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के संपूर्ण बेस के लिए 27.81 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 29.49 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की अपेक्षा निम्न है।

500 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत अधिक पीबीटी वाली कंपनियों का औसत प्रभावी कर दर 25.91 प्रतिशत है जो 500 करोड़ रुपए से पूर्व लाभ वाली सभी कंपनियों से कम है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियां अपेक्षाकृत अधिक छोटी कंपनियों के सापेक्ष उच्चतर कटौतियां और प्रोत्साहनों का लाभ ले रही हैं। इसका पीबीटी के लिए कुल आय के अनुपात द्वारा भी समर्थन किया गया है। 0-1 करोड़ रुपए के बीच की पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह अनुपात 93.41 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह 72.83 प्रतिशत है। निम्नतर अनुपात निर्दिष्ट करता है कि अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियां अपेक्षाकृत लघु कंपनियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा और प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

**सारणी 1: कर पूर्व लाभों की रेंज में कंपनियों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2018-19) (कंपनियों की संख्या 7,90,537)**

क्र. सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कारपोरेट आय-कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय एवं कर पूर्व लाभों का अनुपात (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) (लाभ एवं कर अनुपात)
1.	शून्य से कम	4,17,986	0.00	0.86	0.88	0.00	0.00
2.	शून्य	36,918	0.00	10.07	3.40	0.00	0.00
3.	0-1 करोड़ रुपए	3,77,730	2.59	2.82	2.47	93.41	26.57
4.	1-10 करोड़ रुपए	41,586	7.07	7.26	6.72	87.79	26.43
5.	10-50 करोड़ रुपए	7,830	9.30	9.06	9.24	83.29	27.63
6.	50-100 करोड़ रुपए	1,379	5.34	4.75	5.35	76.11	27.86
7.	100-500 करोड़ रुपए	1,437	16.39	14.68	16.70	76.61	28.33
8.	500 करोड़ रुपए से ज्यादा	423	59.31	50.49	55.25	72.83	25.91
सभी कंपनियां		8,85,289	100	100	100	85.54	27.81*

* उच्च प्रभावी कर दर कर पूर्व शून्य लाभवाली कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों में फैक्टरिंग के कारण है।

सारणी 2 प्रभावी कर दरों में सैम्पल कंपनियों का विवरण देती है। यह नोट किया गया है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 5,42,490 कंपनियों का कर-पूर्व कुल लाभ 22.42 प्रतिशत, कुल कर योग्य आय 8.24 प्रतिशत तथा कुल कर का 7.63 प्रतिशत बनता है। अन्य शब्दों में, बहुत सी कंपनियों (5,32,805 अर्थात 60.18 प्रतिशत) ने अपने लाभों की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से कर की कम राशि दी है। दिलचस्प बात यह है कि 28.19 प्रतिशत कुल लाभों वाली तथा 38.13 प्रतिशत कुल कर वाली 34,768 कंपनियों की प्रभावी कर दर है जो लगभग 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के बराबर है। इससे पता चला है कि कंपनियों की कर देनदारी असमान रूप से बंटी हुई है। यह संविधि में मुख्यतः विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

सारणी 2: प्रभावी कर दरों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कंपनियों की संख्या	लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	4,37,567	0.00	0.96	0.91
2	0-20	95,238	22.42	8.24	7.63
3	20-25	46,086	19.07	18.92	22.92
4	25-30	1,84,520	19.49	20.97	18.85
5	30-33	50,192	10.83	12.10	11.56
6	>33	34,768	28.19	38.77	38.13
7	अनिर्धारित (पीबीटी = 0)	36,918	0.00	0.00	0.00
जोड़		8,85,289	100	100	100

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

⁵ एक करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में औसत सांविधिक कर दर 31.20 प्रतिशत की कर दर का भारत औसत, 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए तक कारोबार वाली कतिपय कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर का प्रभाव लेने के पश्चात अपेक्षाकृत कम होगी।

सारणी 3 पब्लिक कंपनियों (केवल पीएसयू) के प्रभावी कर दर की प्राइवेट कंपनियों के प्रभावी कर दर से तुलना करती है। हालांकि दोनों श्रेणियों के लिए प्रभावी दर सांविधिक दर से कम है, परन्तु प्राइवेट कंपनियों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षा अपने लाभों का कुछ अधिक अनुपात कर के रूप में भुगतान करती हैं।

सारणी 3: पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कंपनियों की प्रभावी कर दर* (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	पब्लिक #	212	17.96	14.30	22.73
2.	प्राइवेट	8,85,077	82.04	85.70	28.93
कुल कम्पनियां		8,85,289	100	100	27.81

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

अपनी संबंधित विवरणियों में निर्धारित कंपनियों (पीएसयू के रूप में) द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

सारणी 4 कंपनियों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 28.17 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावी कर दर ज्यादा है जो 27.21 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर* (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	विनिर्माण	1,33,691	37.78	36.96	27.21
2.	गैर-विनिर्माण	7,51,598	62.22	63.03	28.17
कुल कम्पनियां		8,85,289	100	100	27.81*

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव के अर्थों में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय के ब्यौरे को दर्शाती है। यह विश्लेषण 30, नवम्बर, 2020 तक दायर की गई कारपोरेट विवरणियों पर आधारित है जिसमें निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए फाइल सभी विवरणियां शामिल है। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई कर छूट का राजस्व प्रभाव प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर दर लागू करके परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्य ह्रास का राजस्व प्रभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती/भारित कटौती का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ/हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। इसके बाद कर व्यय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए इस अंतर पर 34.58 प्रतिशत की औसत कारपोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का दूसरा पक्ष कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है जब करदाता, कर संविधि के अंतर्गत उच्च कटौतियों की अनुमति मिलने के कारण कम समयावधि में कटौती के रूप में किसी भत्ते (अर्थात् मूल्यह्रास भत्ते) का दावा करके अपनी कर देनदारी को आस्थगित करने में सक्षम होता है जबकि वह अपने खाते में बहुत से वर्षों से उसी मूल्यह्रास दावे को डाल रहा होता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय जरूरी नहीं होता है, अतः यह कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर संविधि के अंतर्गत कंपनियों पर एमएटी (कुछ सामंजस्यों के अध्यक्षीन) अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा सूचित लाभ पर, देनदारी (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 20.90 प्रतिशत की दर पर जिसमें दर्ज लाभों पर उपकर और अधिभार का समावेश है) में तेजी लाता है, यदि यह देनदारी सामान्य दरों पर परिकलित कर देनदारी से अधिक है। एमएटी के कारण अधिक देनदारी बाद के उस वर्ष में (15 वर्षों तक) क्रेडिट के रूप में अनुमत है जिसमें सामान्य कर देनदारी एमएटी से अधिक है। अतः एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भावी कर देनदारी का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों की आस्थगन अवधि को सीमित करता है तथा लंबी समयावधि में समान दावे को जमा करके अन्य कटौतियों जैसे लाभ से संबंधित कटौतियों के राजस्व प्रभाव को नियंत्रित करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को वर्ष के लिए अनंतिम राजस्व संग्रह के अनुसार 2019-20 में कारपोरेट कर वृद्धि के साथ गुणा करके 2018-19 के लिए अनुमान लगाया गया है। कराधान नियम (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से घरेलू कम्पनियों (मौजूदा एवं नई दोनों) को इस शर्त पर कराधान का निम्नतर दर चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी छूट या प्रोत्साहन नहीं लिया गया हो। चूंकि इस विकल्प का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, अतः इस विवरण में ऐसे विकल्प के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

सारणी 5: कारपोरेट करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
1.	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10कक)	23,261.26	21,481.71
2.	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	54,414.40	50,251.56
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	8,094.08	7,474.87
4.	विशिष्ट कारोबार के संदर्भ में कटौती (धारा 35कघ)	4,333.03	4,001.54
5.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	2,473.46	2,284.23
6.	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	801.58	740.25
7.	अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	5,722.23	5,284.46
8.	एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	533.65	492.83
9.	दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	1.43	1.32
10.	विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	15,513.02	14,326.23
11.	विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	87.76	81.04
12.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1कख)	1,098.62	1,014.57
13.	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	69.19	63.89
14.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों में लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	2.20	2.03
15.	औद्योगिक उपक्रमों को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	1,535.60	1,418.12
16.	औद्योगिक उपक्रमों को आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	34.80	32.14
17.	औद्योगिक उपक्रमों को कोल्ड चैन सुविधा के प्रचालन से होने वाले लाभों में (धारा 80-1ख)	12.31	11.36
18.	औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, स्टोरे और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से होने वाले लाभों में (धारा 80-1ख)	7.18	6.63
19.	औद्योगिक उपक्रमों को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	292.23	269.87
20.	औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	0.60	0.55
21.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों और आय में छूट (धारा 80-1खक)	187.96	173.58
22.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	1,463.50	1,351.54

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
23.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	2,473.52	2,284.28
24.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	1,378.12	1,272.69
25.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	376.69	347.87
26.	बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से होने वाले लाभों में छूट (धारा 180जजक)	12.15	11.22
27.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में छूट (धारा 180जजकक)	1,330.78	1,228.97
28.	ऑफसोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में छूट (धारा 80ठक)	380.43	351.33
	कुल	1,25,891.78	1,16,260.68
	घटाए-एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देनदारी	36,185.96	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट को घटाकर	18,407.22	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	17,778.74	16,418.62
	कुल परिव्यक्त राजस्व	1,08,113.04	99,842.06

चूंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (विशिष्ट रूप से एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर का आंकड़ा) विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित किया गया था जो ₹1,39,486.12 करोड़ था, अब यह वास्तव में ₹1,25,891.78 करोड़ पर परिकलित किया गया है। एमएटी के परिणाम के रूप में संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहनों की वास्तविक राजस्व देयता विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित ₹1,08,785.41 करोड़ के कर व्यय के सापेक्ष ₹1,08,113.04 करोड़ कम है। शीर्ष अभिवृद्ध मूल्य ह्रास है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की उच्चतम राशि (₹54,414.40 करोड़) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजे) में स्थित इकाइयों, विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों, अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों, विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्र.सं. 4) तथा वैज्ञानिक अनुसंधान (क्र.सं. 3) पर प्राप्त की गई छूटें कुल कर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा भाग है।

कंपनियों के प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज पर, यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर अलौह धातु अयस्कों के खनन के लिए प्रभावी कर दर 14.98 प्रतिशत है। इसी तरह, वस्त्र विनिर्माण (हथकरघा छोड़कर) और बिजली उत्पादन, संग्रहण तथा संवितरण के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 17.66 प्रतिशत और 19.11 प्रतिशत है जो कि औसत प्रभावी कर दर से कम है। अन्य क्षेत्र जिनकी प्रभावी कर दरों की तुलना में कर दरें न्यूनतम हैं, ये हैं- भवनों की खरीद, बिक्री और लीजिंग (आवासीय और गैर-आवासीय) (16.85 प्रतिशत), हवाई परिहवन (18.12 प्रतिशत), अन्य कृषि, पशुपालन तथा वानिकी (13.18 प्रतिशत), अन्य संपदा/भाड़ा सेवाएं (18.68 प्रतिशत)।

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र (फर्म/एओपी/बीओआई आदि)

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़ा व्यवसाय साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी संगठित है। इन पर कर व्यय इतना बड़ा नहीं होता जितना कि कंपनियों के मामलों में होता है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय के लिए 30 नवम्बर, 2020 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज 15,45,987 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय का आकलन करने के उद्देश्य से इन 15,45,987 फर्मों/एओपी/बीओआई के आंकड़ों का डाटा बेस से छांटा गया है। ये सभी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में फर्मों/एओपी/बीओआई की दुनिया द्वारा प्रदत्त कुल कर के बहुत बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:-

- * समूची फर्मों/एओपी/बीओआई ने ₹2,13,909.08 करोड़ के कर पूर्व लाभों की जानकारी दी और ₹2,06,591.98 करोड़ की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। हानियों की रिपोर्ट 2,81,081 विवरणियों के द्वारा दी गई थी जो कि कुल का 18.18 प्रतिशत है।
- * इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय आयकर (शिक्षा उपकर सहित) के रूप में ₹63,616.66 करोड़ की जानकारी दी।

फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत की राजस्व देयता को प्रत्येक छूट (कटौती) की राशि पर 31.26 प्रतिशत (एक करोड़ से कम की आय वाली फर्मों के लिए 31.20 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक की आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर लेते हुए परिकलित की गई भारत औसत दर) की आय कर दर लागू करते हुए परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती को सर्वप्रथम फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि के खातों से घटाए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत अनुमत्य मूल्यहास/कटौती के बीच के अंतर का निर्धारण करके परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् 31.26 प्रतिशत की आयकर दर इस अंतर पर प्रयुक्त की जाती है और प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का आकलन किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन की राजस्व देयता के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व देयता का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को, वर्ष 2019-20 में संग्रहित आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आयकर संग्रहणों और वर्ष 2018-19 में संग्रहित वास्तविक आयकर के बीच का अनुपात निकालकर और फिर इसी अनुपात को वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण होने वाले कर व्यय पर लागू करके निकाला गया है।

सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2018-19 के दौरान कर व्यय और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रेक्षण के अर्थों में गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर बड़े कर-व्ययों को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की तरह, सहकारी सोसायटियों के लाभों की कटौती के कारण कर व्यय उच्चतम स्तर पर बना रहा जो कुल राजस्व देयता का 54.26 प्रतिशत रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह मात्र 56.27 प्रतिशत था। त्वरित मूल्यहास और सेज में स्थापित यूनितों (धारा 10कक) के कारण कर व्यय कुल राजस्व परित्यक्त का क्रमशः 11.56 प्रतिशत और 10.92 प्रतिशत था।

गैर-कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों; एओपी/बीओआई के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल कर व्यय ₹6,804.28 करोड़ बनता है।

सारणी 6: गैर कार्पोरेट (फर्मों/एओपी/बीओआई) करदाताओं के लिए वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के बड़े कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व
		(₹करोड़) [2018-19]	प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	एसईजेड में अवस्थित इकाइयों के निर्यात लाभों पर छूट धारा (धारा 10कक)	743.36	686.49
2.	द्रुत मूल्यहास (धारा 32)	786.94	726.74
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(ड), (2कक) और (2कख)	11.30	10.43
4.	विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती 35कघ	54.13	49.99
5.	चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को दिए गए दानों पर छूट (धारा 80छ)	117.13	108.17
6.	राजनीतिक पार्टियों को दिए गए अंशदानों पर छूट (धारा 80छगग)	41.22	38.07
7.	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80Iक)	197.97	182.82
8.	एसईजेड के विकास और औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	23.59	21.79
9.	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	379.53	350.50
10.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर छूट (धारा 80-Iक)	4.17	3.85
11.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	44.93	41.50
12.	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	5.38	4.97
13.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	0.03	0.02
14.	पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट कटौती (धारा 80-Iख)	0.02	0.02
15.	औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवासीय परियोजनाओं से अर्जित किए गए लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	55.69	51.43
16.	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	3.10	2.87

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
17	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित कारोबार से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	6.20	5.73
18.	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-खक)	26.53	24.51
19.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों की कटौती (धारा-80-खक)	126.47	116.80
20.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-ग)	232.19	214.42
21.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	45.24	41.78
22.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	71.75	66.26
23.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	104.17	96.20
24.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंकरण के कारोबार से प्राप्त लाभ की कटौती (धारा-80-जजकक)	10.24	9.46
25.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा-80-जजकक)	19.99	18.47
26.	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा-80-ठक)	1.08	1.00
27.	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संदर्भ में कटौती (धारा 80प)	3,692.03	3,409.58
जोड़		6,804.28	6,283.87

ग. व्यक्ति/हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में कतिपय भुगतानों और कतिपय आयों पर कटौती की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति/एचयूएफ) करदाता इन कटौतियों के दावे के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए अनेक कर विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक करदाता अपनी आय वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ आधारित कटौती (अर्थात् कतिपय कारोबार से प्राप्त आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर वैतनिक व्यक्ति दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

व्यक्ति करदाताओं को अनुमेय कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव को व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग में 30 नवम्बर, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत 6,53,88,044 विवरणियों में कर विकल्पों के विभिन्न दावों के आधार पर परिकलित किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अधिनियम के अंतर्गत संशोधन या विलंबित विवरणी को प्रस्तुत करने की तिथि को 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया था। तदनुसार निम्नलिखित सारणी 7 में अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अधीन कर प्रभाव को दर्शाया गया है जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से संबंधित) के लिए व्यक्तिगत रूप में भरी गई सभी विवरण शामिल है। अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियों के अलावा वित्त वर्ष 2018-19 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य भारी कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष अथवा अधिक आय वाले व्यक्ति) के लिए धारा 87A के अंतर्गत 5212.10 रुपये की छूट के साथ 3,00,000 रुपये की उच्चतम बुनियादी छूट सीमा और वरिष्ठतम नागरिकों (80 वर्ष अथवा अधिक आय वाले व्यक्ति) के लिए 5,00,000 तक बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

कुल 6,53,88,044 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:-

- ऊपर उल्लिखित के अनुसार (सारणी 7 की क्रम संख्या 26 और 27) उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के राजस्व प्रभाव को प्रति वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठतम नागरिकों के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या के साथ गुना करके परिकलित किया गया है। इन विवरणियों के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10.55 प्रतिशत विवरणियां और अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 0.62 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच अंतर पर विचार करते हुए और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को प्रयुक्त करते हुए परिकलित किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 2,600 रुपये (उपकर सहित) है। वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, 5,00,000 लाख की छूट सीमा तथा ऐसी आय पर आकलित कर 13,000 रुपये (उपकर सहित) बनता है जिसका भुगतान 60 वर्ष से कम आय वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। प्रत्येक वरिष्ठतम नागरिक के संदर्भ में इसे राजस्व प्रभाव माना गया है।

(ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। 2019-20 के लिए अनुमान वर्ष 2018-19 के लिए संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनुपात का परिकलन करने के पश्चात् और वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को प्रयुक्त करके किया गया है। धारा 87 के अंतर्गत छूट के इस मामले को छोड़कर जिसका अंतरिम बजट 2019 में अनुमानित राजस्व हानि के आधार पर अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 में वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कर व्यय के संदर्भ में व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का चित्रण किया गया है।

**सारणी 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20**

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	कतिपय निवेश और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	70,798.44	65,382.18
2.	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	300.25	277.28
3.	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	4,051.26	3,741.33
4.	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगछ)	52.28	-
5.	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80घ)	4,774.93	4,409.64
6.	दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	696.96	643.64
7.	विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	718.49	663.52
8.	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङ)	837.90	773.80
9.	रिहायशी आवास संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङङ)	302.42	279.29
10.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को किए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,062.18	980.92
11.	आवास के लिए प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,945.02	1,796.22
12.	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	16.16	15.34
13.	राजनैतिक पार्टियों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	402.18	371.42
14.	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली निर्माण तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	93.92	86.74
15.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	0.25	0.23
16.	आवासीय परियोजनाओं के लाभों की कटौती (धारा 80झखक)	15.49	14.28
17.	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन लाभ कमाने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा जम्मू और कश्मीर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	24.14	22.32

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
18.	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	89.06	82.25
19.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80ञकक)	6.28	5.80
20.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80ञककक)	5.57	5.14
21.	पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रायल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	11.46	10.59
22.	पेटेंट पर रायल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.46	0.42
23.	बचत खाते पर ब्याज की कटौती (धारा 80ननक)	1,173.29	1,083.53
24.	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	459.39	424.24
25.	धारा 87क के अंतर्गत रिबेट	5,212.10	23,313.36
26.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	1,794.00	1,656.75
27.	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	532.90	492.14
जोड़		95,376.78	1,06,532.40

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी तथा बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत शामिल हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण राजस्व प्रभाव व्यष्टि करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद 5 लाख रुपये तक आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों तथा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के मामले में उच्च कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-जक और 80-जग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा निधि पोषित धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में लगे निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों के लिए आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 30 नवम्बर, 2020 तक ऐसे निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2,26,531 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निकायों द्वारा आवेदित कुल राशि 7,35,971.49 करोड़ रुपए है।

परिशिष्ट

उद्योगों के बीच अधिभार और शिक्षा उपकर सहित कम्पनियों की प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2018-19) (कम्पनियों की संख्या - 8,85,289)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
1.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	4,209	1,429.40	326.00	22.81
2.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कुकुट और अण्डा उत्पादन बढ़ाना	618	1,136.08	353.47	31.11
3.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय की खेती और विनिर्माण	1,177	756.02	187.81	24.84
4.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	अवर्गिकृत सहित अन्य	7,488	3,423.94	451.37	13.18
5.	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन	256	56.06	17.29	30.84
6.	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजा पाना संबंधी मत्स्य, मत्स्य हैचरी और मत्स्यपालन	90	18.30	5.19	28.36
7.	मत्स्य पालन	अन्य	372	230.28	72.73	31.59
8.	खनन और उत्खनन	कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	136	52,349.19	13,041.94	24.91
9.	खनन और उत्खनन	खनन और कठोर कोयले का संचयन	181	39,566.97	9,457.34	23.90
10.	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क को छोड़कर अधात्विक अयस्क का खनन,	50	15,769.74	2,361.59	14.98
11.	खनन और उत्खनन	लोह अयस्क का खनन	202	7,052.86	2,057.00	29.17
12.	खनन और उत्खनन	अन्य	3,460	9,082.34	2,677.14	29.48
13.	विनिर्माण	परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	323	100,800.41	21,392.40	21.22
14.	विनिर्माण	भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	5,723	61,488.54	16,261.34	26.45
15.	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	319	39,620.55	11,878.56	29.98
16.	विनिर्माण	मोटर वाहनों और इंजनों के कलपूजों और सहायक कलपूजों का विनिर्माण	3,160	33,299.92	9,881.34	29.67
17.	विनिर्माण	इस्पात उत्पादन का विनिर्माण	3,984	52,702.41	11,368.61	21.57
18.	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	3,682	26,935.02	7,909.12	29.36
19.	विनिर्माण	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	355	20,261.03	6,150.59	30.36
20.	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हस्तकरघा द्वारा निर्मित को छोड़कर)	8,668	24,357.94	4,302.71	17.66
21.	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	2,124	14,183.00	3,815.79	26.90
22.	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और पलस्तर का विनिर्माण	672	14,475.36	3,508.73	24.24
23.	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	3,691	17,590.44	5,967.85	33.93
24.	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरणों और उपकरणों का विनिर्माण	242	4,755.54	1,724.40	36.26
25.	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	282	1,822.06	485.01	26.62
26.	विनिर्माण	उर्वरकों और नाइट्रोजन मिश्रणों का विनिर्माण	1,013	7,471.76	1,968.09	26.34
27.	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1,119	7,842.83	2,084.71	26.58
28.	विनिर्माण	पेंट्स, रंग-रोगन और इसी प्रकार के कोटिंग का विनिर्माण	717	6,025.62	1,790.89	29.72

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
29.	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,970	4,952.88	1,321.42	26.68
30.	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,504	6,217.64	1,650.94	26.55
31.	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	215	4,799.30	1,531.01	31.90
32.	विनिर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	91,928	2,29,916.72	69,955.67	30.43
33.	बिजली, गैस और पानी	बिजली उत्पादों, संग्रहण और वितरण	4,747	54,681.34	10,450.90	19.11
34.	बिजली, गैस और पानी	गैस का विनिर्माण और वितरण	261	10,928.99	3,002.85	27.48
35.	बिजली, गैस और पानी	पानी का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	130	48.94	15.35	31.36
36.	बिजली, गैस और पानी	अन्य अनिवार्य वस्तु सेवाएं एन.ई.सी.	2,194	718.51	134.23	18.68
37.	निर्माण	सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाहों, रनवेज आदि का निर्माण और रखरखाव	4,737	25,572.12	6,880.60	26.91
38.	निर्माण	भवन का पूर्ण निर्माण या भाग सिविल संविदाकार	18,650	12,651.83	3,818.14	30.18
39.	निर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	47,610	26,281.49	7,328.61	27.89
40.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	स्थावर संपदा का विकास और लॉट में उपविभाजन	9,303	5,634.29	1,578.90	28.02
41.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अपने स्वामित्व के भवनों के स्थावर संपदा का प्रचालन (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	3,384	5,015.74	1,218.76	24.30
42.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	भवनों की खरीद बिक्री और पट्टे पर देना (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	5,858	3,447.57	580.84	16.85
43.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	शुल्क या संविदा आधार पर स्थावर संपदा संबंधी क्रिया-कलाप	5,967	1,530.61	424.60	27.74
44.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अन्य स्थावर संपदा/किराए पर देने की सेवाएं एन.ई.सी.	36,578	14,413.54	3,045.77	21.13
45.	मशीनरी को किराए पर देना	मशीनरी को किराए पर देना	1,954	1,032.97	297.95	28.84
46.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर कलपूर्जों और सहायक पूर्जों की थोक और खुदरा बिक्री	1,304	11,333.49	3,288.64	29.02
47.	थोक और खुदरा व्यापार	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	3,050	3,023.04	1,019.11	33.71
48.	थोक और खुदरा व्यापार	कपड़ों, परिधान, जूते-चप्पल, चमड़ा सामानों की खुदरा बिक्री	5,415	3,750.22	1,192.71	31.80
49.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	3,322	2,731.20	806.66	29.53
50.	थोक और खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी और उपकरण की थोक बिक्री और आपूर्ति	2,504	2,100.69	669.82	31.89
51.	थोक और खुदरा व्यापार	अवर्गीकृत को छोड़कर अन्य	1,49,855	65,381.55	19,344.11	29.59
52.	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	18,730	7,541.06	1,997.65	26.49
53.	परिवहन और संचार सेवाएं	हवाई परिवहन	362	1,095.42	198.47	18.12
54.	परिवहन और संचार सेवाएं	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	3,670	3,003.22	886.33	29.51
55.	परिवहन और संचार सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	16,055	15,626.71	4,545.09	29.09

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
56.	डाक और दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,308	23,737.74	6,182.23	26.04
57.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और छूट संस्थाएं	257	95,611.71	38,645.06	40.42
58.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण क्रिया-कलाप	2,230	36,127.77	9,697.82	26.84
59.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवास वित्तपोषण क्रिया-कलाप	195	26,140.78	7,317.74	27.99
60.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	46,166	1,93,081.37	50,669.76	26.24
61.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	21,519	1,42,927.94	37,831.12	26.47
62.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी समर्थित सेवाएं	20,822	47,711.08	15,197.15	31.85
63.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,429	5,953.79	2,004.48	33.67
64.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	13,804	4,948.79	1,663.55	33.62
65.	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,548	1,128.78	356.78	31.61
66.	पेशा	इंजीनियरी और तकनीकी परामर्शी	4,091	5,008.28	1,771.10	35.36
67.	पेशा	व्यवसाय और प्रबंधन परामर्शी क्रिया-कलाप	6,633	2,720.09	817.90	30.07
68.	पेशा	विज्ञापन	2,474	1,698.53	533.48	31.41
69.	पेशा	वास्तुकला पेशा	996	219.53	65.14	29.67
70.	पेशा	अवर्गीकृत सहित अन्य	24,476	4,348.48	1,344.28	30.91
71.	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन	2,625	809.37	234.58	28.98
72.	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	567	242.43	64.95	26.79
73.	शिक्षा सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	7,008	1,549.57	524.32	33.84
74.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,880	3,110.00	917.92	29.51
75.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	नैदानिक केन्द्र	1,387	1,279.96	404.88	31.63
76.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	2,653	2,009.54	549.50	27.34
77.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	2,043	786.31	222.71	28.32
78.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	7,323	1,733.00	483.59	27.90
79.	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	2,178	131.66	32.30	24.53
80.	संस्कृति एवं खेलकूद	टेलीविजन चैनल प्रसारण	473	6,619.56	2,288.47	34.57
81.	संस्कृति एवं खेलकूद	चलचित्र निर्माण	1,288	1,212.80	353.38	29.14
82.	संस्कृति एवं खेलकूद	अवर्गीकृत सहित अन्य	4,454	2,913.93	1,014.05	34.80
83.	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	2,03,824	96,980.34	30,426.08	31.37
84.	प्रदेश बाह्य संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	68	17.57	4.91	27.95
जोड़			8,85,289	17,98,695.39	5,00,303.35	27.81

2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए सीमा शुल्क के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव का विवरण (अनुमानित)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सामान्यतया इसे बुनियादी सीमा शुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क भी लगाया जाता है।

2.1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यक्ति टैरिफ लाइनों के सामने विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्य रूप से “टैरिफ दरें” कहा जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत जो विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत लागू हुए शुल्कों पर भी लागू होती है) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसी छूट की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों को “प्रभावी दरें” कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-
(i) सशर्त छूट की अधिसूचनाएं; और
(ii) बिना शर्त छूट की अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त छूटों में वस्तु के लिए सामान्य प्रभावी शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दर उस वस्तु के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिना शर्त प्रभावी छूट वस्तु के लिए एमएफएन दर निर्धारित करती है।

2.4 दूसरी ओर सशर्त छूट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतर टैरिफ दर या एमएफएन दर की तुलना में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने, रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति आदि। ऐसे मामलों में केवल वैसे आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होते हैं। वैसे भी इन छूटों के परिणामस्वरूप संगत टैरिफ/एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 कच्ची सामग्री और निविष्टियों की अधिप्राप्ति के लिए कतिपय छूटें दी गई हैं जो निर्यात माल में जाती हैं। वैसे भी, केवल इन छूटों से निर्यातों के शून्य दर निर्धारण के लिए निर्यात हेतु कर निष्प्रभावी होता है। चूंकि इन रियायतों का लक्ष्य निर्यातों का शून्य दर निर्धारण होता है, बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण इसके परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता है। तथापि, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के द्वारा दी गई रियायतों, जिसमें शुल्क स्क्रिप्स के द्वारा निर्यातकों को निर्धारित दर पर प्रोत्साहन (निर्यात मूल्य का %) दिया जाता है, का परिणाम परित्यक्त राजस्व होता है क्योंकि इन स्क्रिप्स द्वारा प्राप्त शुल्क क्रेडिट आयातों पर भुगतान योग्य बुनियादी सीमा शुल्क से इसकी पूर्ति होती है।

3. भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है। इसी प्रकार, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार-1 पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत भारत ने स्वयं को इस करार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल पर कम दर/छूट के लिए अपने आप को बाध्य किया है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। सरकारी वचनबद्धताओं के रूप में दिए गए ऐसे अधिमानी प्रशुल्क ऐसे करारों में शामिल आयातों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होते हैं।

4. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि बिना शर्त छूटें और सरकारी वचनबद्धता के रूप में की गई छूटें वास्तव में संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का अधिकाधिक समुचित अनुमान केवल सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व होगा। इसके अतिरिक्त, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व के अंतिम अनुमानों में भी शामिल होते हैं।

5. वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 (अनुमानित) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज स्थानों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि के बिलों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन करने के लिए बहिर्वेशन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए कुल आयातों का लगभग 95% और 97% (अनुमानित) है।

6.1 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 (अनुमानित) के लिए सीमा शुल्क पर कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

सारणी I : आधारभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
क.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार प्रशुल्क दर से कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	228293	199319
ख.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	129405	111575
ग.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	67559	61938
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थान (सारणी III का संदर्भ लें)	-	31329	25806
ङ	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई+गैर-ईडीआई स्थान	डीएक्स100/एफ ⁴	32978	26604
च.	निविष्टि कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	22982	22944
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	46136	39813
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क (सीमा शुल्क टैरिफ रियायत के कारण)	ङ + छ	79114	66417

* एफ बहिर्वेशन कारक है जो आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों को शामिल करने के लिए वर्ष 2019-20 और 2020-21 (अनुमानित) के लिए 95% और 97% के बराबर है।

6.2 वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I ए में क्र.स. ग देखें) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
1	आसियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	35193	33228
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	7209	5453
3	जापान से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	4548	4250
4.	मलेशिया से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	2603	1451
5.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अन्य तरजीही व्यापार करार, कम विकसित देशों को रियायत से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	15087	14920
6.	अन्य	2919	2636
	कुल	67559	61938

6.3 वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. घ देखें) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सामग्री को छूट के कारण (अधिसूचना सं.57/2017- सीमा शुल्क)	7148	7091
2	खनिज ईंधन, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं.52/2017- सीमा शुल्क)	1101	500
3	आईटीए बाध्य सामग्री के विनिर्माण के लिए दी गई बीसीडी छूट के कारण (अधिसूचना सं. 24/2005- सीमा शुल्क तथा 25/2005 -सीमा शुल्क)	462	396
4	सरकार द्वारा अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा वित्तपोषित आयातित अनुसंधान उपकरण को छूट के कारण (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क)	285	248
5	अन्य वस्तुओं (क्रम संख्या 1 से 4 पर यथा उल्लिखित वस्तुओं से इतर) के लिए छूट तथा सीमा शुल्क की प्रभावी दरों के कारण	22333	17573
कुल		31329	25808

6.4 वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (अनुमानित) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर सारणी में क्र.सं. च और छ का संदर्भ लें) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	स्कीम का नाम	राजस्व प्रभाव (2019-20) (सित.2019 तक)	राजस्व प्रभाव (2020-21) (वार्षिकीकृत)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	13666	14385
2	ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	5690	5797
3	ईपीसीजी	3038	2185
4	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	588	577
5	भारत स्कीम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात	38770	23721
6	राज्य और केन्द्रीय कर उगाहियों की छूट	400	9847
7	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	6735	6150
8	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	166	52
9	शुल्क मुक्त पात्रता ऋण प्रमाणपत्र	65	43
10	कुल	69118	62757
11	इनपुट कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर क्रम संख्या 1 से 4)	22982	22944
12.	निर्यात सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम रखरखाव निर्यात पर राजस्व प्रभाव (उपर क्रम सं. 5 से 9 तक)	46136	39813